रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01122022-240719 CG-DL-E-01122022-240719

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5342] No. 5342] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 1, 2022/अग्रहायण 10, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 1, 2022/AGRAHAYANA 10, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5574(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4187, दिनाक 8 सितम्बर २०२२ जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के हरदा जिले में NH47 के कि.मी. 0 से कि.मी.11.45 (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरदा, जिला - हरदा) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "१८ सितम्बर २०२२ " को "पत्रिका " और "फ्रीप्रेस " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

7970 GI/2022 (1)

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची मध्य प्रदेश राज्य के हरदा जिले में NH47 के कि.मी. 0 से कि.मी.11.45 (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरदा, जिला - हरदा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश जिले का नाम: हरदा								
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम			
1	2	3	4	5	6			
	तालुक का नाम: हरदा							
	गांव का नाम: हरदाखुर्द							
1	2/1 3/1, 4/1	निजी	सिंचित	0.17	नारायण वल्द डालू जाट (2/1, 3/1, 4/1)			
2	2/2, 3/2, 4/2	निजी	सिंचित	0.0728	गोविन्द वल्द नारायण जाट (2/2, 3/2, 4/2)			
3	2/3, 3/3, 4/3	निजी	सिंचित	0.2226	संतोष वल्द नारायण जाट (2/3, 3/3, 4/3)			
4	2/5, 4/5	निजी	सिंचित	0.1416	सावित्रीबाई पत्नि राकेश जाट (2/5, 4/5)			
	गांव का नाम: उः	डा						
5	260/1/6	निजी	सिंचित	0.196	हरिराम वल्द जोखीलाल गुर्जर (260/1/6)			
6	260/2Ga, 289/5, 289/8	निजी	सिंचित	0.05	निर्भयदास वल्द आत्माराम गुर्जर (260/2/3, 289/5, 289/8)			
7	289/14	निजी	सिंचित	0.031	मनीष वल्द बालकृष्ण प्रीति पुत्री बालकृष्ण नीता बेवा बालकृष्ण गुर्जर (289/14)			
8	289/15	निजी	सिंचित	0.1	राधाकिशन वल्द रामनारायण गुर्जर (289/15)			

9	290/2	निजी	सिंचित	0.064	वरूण वल्द नानकराम गुर्जर (290/2)
10	290/4, 290/5	निजी	सिंचित	0.001	राधाबाई बेवा शंकरलाल गुर्जर ()
11	291/15	निजी	सिंचित	0.078	तरूण वल्द हरीराम गुर्जर (291/15)
12	291/3	निजी	सिंचित	0.009	राधाबाई बेवा शंकरलाल अनिल कैलाश पवन पुत्रगण शंकरलाल मनोरमा पुत्री शंकरलाल गुर्जर (291/3)
13	291/4	निजी	सिंचित	0.004	मनोरमा पत्नि शिवशंकर (291/4)
कुल				1.14	

फा. सं. Harda-Betul/Pkg-I/Chw/13214/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 2022

S.O. 5574(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 4187, dated 8 september 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH47 on the stretch of land from Km 0 to Km 11.45 (Sub Divisional Officer (Revenue), Harda, District - Harda) in the district of HARDA in the state of MADHYA PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in "Patrika" and "Free Press" both dated 18 September 2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH47 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 11.45 (Sub Divisional Officer (Revenue), Harda, District - Harda) in the district of HARDA in the state of MADHYA PRADESH

State	: MADHYA PR	ADESH	District: HARDA						
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.				
1	2	3	4	5	6				
	Taluk: Harda								
	Village: Harda Khurd								
1	2/1 3/1, 4/1	Private	Irrigated	0.17	Narayan s/o Daloo Jat 2/1, 3/1, 4/1				
2	2/2, 3/2, 4/2	Private	Irrigated	0.0728	Govind s/o Narayan Jat 2/2, 3/2, 4/2				
3	2/3, 3/3, 4/3	Private	Irrigated	0.2226	Santosh s/o Narayan Jat 2/3, 3/3, 4/3				
4	2/5, 4/5	Private	Irrigated	0.1416	Savitribai w/o Rakesh Jat 2/5, 4/5				
	Village: Uda								
5	260/1/6	Private	Irrigated	0.196	Hariram s/o Jokhilal Gurjar 260/1/6				
6	260/2Ga, 289/5, 289/8	Private	Irrigated	0.05	Nirbhyadas s/o Atmaram Gurjar 260/2/3, 289/5, 289/8				
7	289/14	Private	Irrigated	0.031	Manish s/o Balkrishna, Priti D/o Balkrishna, Neeta Widow Balkrishna Gurjar 289/14				
8	289/15	Private	Irrigated	0.1	Radhakishan s/o Ramnarayan Gurjar 289/15				
9	290/2	Private	Irrigated	0.064	Varun s/o Nanakram Gurjar 290/2				
10	290/4, 290/5	Private	Irrigated	0.001	Radhabai widow Shankarlal Gurjar 290/4, 290/5				
11	291/15	Private	Irrigated	0.078	Tarun s/o Hariram Gurjar 291/15				
12	291/3	Private	Irrigated	0.009	Radhabai widow Shankarlal, Anil, Kailash, Pawan s/o Shankarlal, Manorma D/o Shankarlal Gurjar 291/3				
13	291/4	Private	Irrigated	0.004	Manorama W/o Shivshankar 291/4				
			TOTAL	1.14					

[F. No. Harda-Betul/Pkg-I/Chw/13214/3D]

RAJESH GUPTA, Director